राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 4(37)त.शि./2008 पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 13 अगस्त, 2015

:: आदेश ::

वर्ष 2015–16 में अभियांत्रिकी/आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त प्रवेश स्थानों (समस्त कारणों से) को AICTE के नोटिफिकेशन क्रमांक Legal/12(06)/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के CA-9048/2012 Dated 13.12.2012 के निर्णय की अनुपालना में संस्थान स्तर पर प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

A. For Engineering

i. Internal Sliding (for Engineering Only)

1. संस्थानों द्वारा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों का आंकलन कर दिनांक 14–08–2015 को संस्थान के नोटिस बोर्ड पर एवं अपनी वैबसाईट पर प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी में संचालित ब्रान्च वाईज रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना प्रकाशित करेंगे।
2. संस्थानों द्वारा आरईएपी–2015 की काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रथमतः Internal Sliding का लाभ प्रदान करने हेतु संस्थान स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जावेगें।
3. संस्थानों द्वारा दिनांक 14–08–2015 को संस्थान स्तर पर JEE / XII के लिये निर्धारित प्रवेश स्थानों हेतु पृथक पृथक रूप से Internal Sliding के लिये मैन्युअल काउन्सलिंग करते हुए संस्थान में रिक्त प्रवेश स्थानों पर इच्छुक प्रवेशार्थियों को उनकी वरीयतानुसार प्रवेश दिया जावेगा। संस्थान द्वारा दिनांक 14–08–2015 को ही सायं 6.00 बजे तक पाठ्यक्रमवार रिक्तियों की सूचना का हस्ताक्षरयुक्त पत्र स्केन करते हुए आरईएपी–2015 कार्यालय को ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ii. Priorities for Direct Admission in ENGINEERING

अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए JEE / XII के लिये निर्धारित प्रवेश स्थानों में से रिक्त रहे प्रवेश स्थानों पर पृथक पृथक प्रवेश संस्थान स्तर पर निम्न वरीयता क्रम के अनुसार किये जायेंगे :–

For the seats [on the basis of JEE(Mains)-2015 score]	For the seats (on the basis of XII percentile)
▪ JEE (Mains)-2015 Appeared (राजस्थान मूल निवासी) ▪ JEE (Mains)-2015 Appeared (अन्य राज्य मूल निवासी) ▪ राजस्थान मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण ▪ अन्य राज्यों का मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण	▪ राजस्थान मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण ▪ अन्य राज्यों का मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण

संस्थान स्तर पर प्रवेश उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार आरईएपी–2015 द्वारा निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए केवल योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर सम्पादित किये जायेंगे।

B. For Architecture

i. Priorities for Direct Admission in Architecture

संस्थानों द्वारा आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों का आंकलन कर दिनांक 14–08–2015 को संस्थान के नोटिस बोर्ड पर एवं अपनी वेबसाईट पर रिक्त प्रवेश स्थान की सूचना प्रकाशित करेंगे। आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रिक्त रहे प्रवेश स्थानों पर संस्थान स्तर पर प्रवेश निम्न वरीयता क्रम के अनुसार किये जायेगें :–

- NATA उत्तीर्ण अभ्यर्थी (राजस्थान का मूल निवासी)
- NATA उत्तीर्ण अभ्यर्थी (अन्य राज्य का मूल निवासी)

संस्थान स्तर पर प्रवेश उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार आरईएपी–2015 द्वारा निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए केवल योग्य अभ्यर्थियों की मैरिट बनाकर सम्पादित किये जायेंगे। आरईएपी–2015 द्वारा आर्कीटेक्चर अभ्यर्थियों हेतु जारी सामान्य निर्देशों में दी गई प्रकिया का पालन कर मैरिट बनाई जायेगी।

General Instructions of direct admission in ENGG. /ARCHITECTURE

उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा डिग्री अभियांत्रिकी/आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आरईएपी–2015 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व अन्य योग्यतायें धारित करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रवेश देने वाले संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अयोग्य अभ्यर्थी को संस्थान स्तर पर सीधा प्रवेश नहीं दिया जाये अन्यथा इस सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी। दोषी संस्थान पर राज्य सरकार के निर्णय अनुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

1. सभी संस्थानों को दिनांक 14–08–2015 तक रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना का हस्ताक्षरयुक्त पत्र स्केन करते हुए आरईएपी–2015 कार्यालय को ई–मेल से उपलब्ध कराने के साथ–साथ ही दैनिक समाचार–पत्रों में रिक्त प्रवेश स्थानों को भरने की विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी।
2. संस्थान द्वारा प्रवेश प्रकिया को संस्थान स्तर पर सम्पादित करने हेतु एक नॉडल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। नोडल अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं दूरभाष की सूचना आरईएपी–2015 कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी। नॉडल अधिकारी का निम्न दायित्व होगा :–

- प्रत्येक आवेदन पत्र पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक किये जावेगें तथा आवेदक का पूर्ण विवरण का इन्द्राज तिथि वार एवं कमवार प्रतिदिन रजिस्टर में किया जावेगा।
- आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि का निर्धारण तथा प्रवेश संबंधी कार्यक्रम की सूचना हेतु पर्याप्त समय अभ्यर्थियों को प्रदान करते हुए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करनी होगी।
- समस्त योग्य अभ्यर्थियों की सूची मैरिट अनुकम में तैयार करनी होगी एवं प्राप्त आवेदनों की विषय वार मैरिट सूची संस्थान की वेब साईट एवं संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवानी होगी।
- अभियांत्रिकी संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों की ब्रान्चवार एवं शिफ्टवार सूची निम्न प्रफॉर्मा में तैयार करनी होगी।

S. No	Admission Type JEE MAINS-2015 /XII)	Name of candidate	Father's name	Mother's Name	Date of Birth	Gender (M / F)	Branch	Marks Details of XII						Aggregate Percentage Of column A,B,C	Fees Details		
								PHY (A)		MATHS (B)		CHEM / CS /BIO. / BIO-TECH (C)			Receipt No.	Date	Amount
								MM	MO	MM	MO	MM	MO				

- आर्कीटेक्चर संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों की ब्रान्चवार एवं शिफ्टवार सूची निम्न प्रफॉर्मा में तैयार करनी होगी।

S. No	NATA Roll No.	Name of Candidate	Father's name	Mother's Name	Date of Birth	Gender (M / F)	Branch	Marks Detail of XII			Marks Details of NATA			Aggregate Percentage Of XII & NATA	Fees Details		
								Max Marks	Marks Obt.	%	Max Marks	Marks Obt.	%		Receipt No.	Date	Amount

3. जिन संस्थानों को आरईएपी–2015 की काउन्सिलिंग के पश्चात ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि/नया पाठ्यक्रम/**extension of approval** प्राप्त हुये हैं, उन्हें सीधे प्रवेश हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसे प्रकरणों पर संस्था स्तर पर दिये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे तथा इस हेतु समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
4. संस्थान स्तर पर प्रवेश दिये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 15–08–2015 है तथा अन्तिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची मय आवश्यक प्रमाण–पत्रों के दिनांक 19–08–2015 को सायं 6.00 बजे तक आरईएपी–2015 कार्यालय को हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।
5. किसी भी परिस्थिति में समन्वयक, आरईएपी–2015 द्वारा दिनांक 19–08–2015 के बाद किसी भी संस्थान की सूची को स्वीकार नहीं किया जावेगा। इसके साथ–साथ ही किसी भी संस्थान की सूची में नाम संशोधन/परिवर्तन या ब्रान्च परिवर्तन की अनुमति समन्वयक, आरईएपी–2015 द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी।
6. केन्द्रीयकृत प्रवेश समन्वयन समिति के माध्यम से सम्मिलित नहीं होने वाले छात्र सीधे संस्थान स्तर पर प्रवेश लेते हैं, उन संस्थानों द्वारा प्रत्येक प्रवेशित छात्र पर राशि रू. 500/– प्रक्रिया शुल्क के रूप में समन्वयक, आरईएपी–2015 के कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. संस्थान द्वारा उपरोक्तानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर आरईएपी–2015 कार्यालय द्वारा केवल काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची को नामांकन हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रेषित कर दिया जावेगा। संस्थान स्तर पर दिये गये प्रवेशार्थियों का अनुमोदन आरईएपी–2015 कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
8. समन्वयक, आरईएपी–2015 संस्थानों की सम्पूर्ण सूची राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित करेगें। समन्वयक, आरईएपी–2015 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रेषित सूची में से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा केवल उन्हीं छात्रों का नामांकन किया जायेगा, जो प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रतायें धारित करते हों। यदि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान स्तर पर प्रवेशित छात्र प्रवेश हेतु अयोग्य पाये जाते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान की होगी।
9. संस्थान स्तर पर अभियांत्रिकी/आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम अवसर प्रदान किया जा रहा हैं, प्रथम अवसर के उपरान्त रिक्त स्थानो हेतु द्वितीय अवसर प्रदान नही किया जावेगा।

विशेषाधिकारी, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. समन्वयक, आरईएपी–2015 को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों को संस्थानो के ई–मेल पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, त.शि.